रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2008/कार्तिक 13, 1930

No. 578] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2008/KARTIKA 13, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 768(अ).—केन्द्रीय सरकार लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 16) की धारा 7 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं - इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 16) अभिप्रेत है;

(ख) "दावों" से इस स्कीम के अंतर्गत आने वाली दुर्घटना से उद्भूत राहत के लिए दावे अभिप्रेत हैं ;

(ग) "दावेदार" से अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1)में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, स्वामी या अभिकर्ता अभिप्रेत हैं ;

(घ) "प्ररुप" से इस स्कीम से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है ;

(ङ.) "निधि प्रबंधक" से पैरा 4 में यथाउपदर्शित पर्यावरण राहत निधि का प्रबंध करने के लिए चयनित संगठन अभिप्रेत है ;

(च) "नियम" से लोक दायित्व बीमा नियम, 1992 अभिप्रेत है ;

(छ) इस स्कीम में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जिन्हें पारिभाषित नहीं किया गया है, किंतु अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन परिभाषित है, के अर्थ वही हैं, जो कि अधिनियम और नियमों में हैं ।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा राहत निधि की स्थापना - (1) नियत दिन से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस स्कीम के प्रयोजनार्थ पर्यावरण राहत निधि के नाम से ज्ञात एक निधि की स्थापना की जाएगी ।

(2) राहत निधि का प्रबंध और प्रशासन निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा ।

(3) निधि प्रबंधक द्वारा राहत निधि के प्रशासन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक या अधिक खाते खोले जाएंगे ।

(4) राहत निधि में निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी -

(i) स्वामी द्वारा ली गई बीमा पालिसी के प्रीमियम के बराबर रकम और अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 2(ग) में विनिर्दिष्ट अन्य धनराशि सहित विनिधान से आय ;

(ii) राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 (1995 का 27) की धारा 22 की उप धारा (1) के अधीन हुई पर्यावरण क्षति के लिए स्वामी द्वारा प्रतिकर के रुप में जमा कराया गया धन ।

4. निधि प्रबंधक - (1) इस योजना के अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निधि प्रबंधक होगी ।

(2) पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, निधि प्रबंधक के रुप में न रहने वाला कोई संगठन, किसी अन्य संगठन सहित पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

5. राहत निधि का प्रचालन - (1) इस योजना के प्रकाशन की तारीख से निधि प्रबंधक द्वारा राहत निधि के प्रचालन के लिए "युनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - एन्वायरमेंट रिलीफ फंड अकाउंट" के नाम और अभिनाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक पृथक खाता खोला जाएगा और उसका प्रचालन किया जाएगा।

(2) खाता के प्रचालन में आने की तारीख से या निधि प्रबंधक द्वारा संसूचित किसी ऐसी तारीख से, पंद्रह दिनों की अवधि, जो स्कीम की अधिसूचना की तारीख से साठ दिन से अधिक नहीं होगी, विभिन्न बीमा कंपनियों की अभिरक्षा में विद्यमान निधि राहत निधि खाता में अंतरित कर दी जाएगी ।

परन्तुक कि सावधि निक्षेप के रुप में पड़ी निधि को परिपक्वता अवधि से पूर्व आहरित करके संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा राहत निधि के खाते में अंतरित कर दिया जाएगा ।

(3) सभी बीमा कंपनियों से प्राप्त होने वाली निधि आर टी जी एस द्वारा राहत कोष खाते में अंतरित की जाएंगी और निधि के इस प्रकार अंतरण करने पर कोई प्रभार नहीं लगेगा ।

(4) स्वामी द्वारा राहत निधि में की जाने वाली सभी अदायगियां वार्षिक प्रीमियम चैक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा की जाएंगी और बीमाकर्ता द्वारा इस निधि को प्रत्येक मास की 30 तारीख तक राहत निधि खाते में जमा किया जाएगा ।

(5) राहत निधि में अभिदाय करने वाले सभी स्वामियों द्वारा बीमाकर्ता को किए गए संदाय के पंद्रह दिन के भीतर ऐसे संदाय के संबंध में प्ररुप -3 में निधि प्रबंधक और कलक्टर को सूचित किया जाएगा ।

(6) स्वामी या बीमाकर्ता द्वारा संदाय में विलंब की दशा में यथास्थिति स्वामियों या बीमाकर्ताओं पर 18 % वार्षिक की दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा ।

(7) समग्र निधि में वार्षिक रुप से जमा राशि का 1% या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित धनराशि सेवा शुल्क के रुप में राहत निधि प्रबंधक को संदाय की जाएगी और इसका भुगतान समग्र निधि से ही किया जाएगा ।

(8) राहत निधि से भुगतान करने के लिए निधि प्रबंधक का दायित्व समग्र निधि में उपलब्ध शेष राशि तक ही सीमित होगा ।

(9) निधि प्रबंधक द्वारा दावों का परिनिर्धारण कलक्टर द्वारा जारी किए गए मंजूरी आदेश के अनुसार किया जाएगा ।

6. राहत निधि के अधीन प्राप्त रकम का विनिधान - (1) राहत निधि के अधीन प्राप्त रकम का विनिधान निधि प्रबंधक द्वारा इस रीति से किया जाएगा कि उक्त राहत निधि से दी गई राहत की राशि पंद्रह दिन के भीतर कलक्टर को उपलब्ध हो जाए ।

(2) राहत निधि खाता में जमा रकम को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, राहत निधि खाते में न्यूनतम सहमत बकाया राशि रखकर अधिमानत: राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा राशियों में तत्काल विनिधान किया जाएगा और बैंककारों को यह स्थायी अनुदेश दिए जाएंगे कि वे न्यूनतम बकाया से ऊपर की धनराशि को सावधि निक्षेप में संपरिवर्तित कर दें ।

(3) सावधि निक्षेप के विभिन्न बैंककारों के बीच विभाजन की रीति, अधिकतम और न्यूनतम सीमा तथा ऐसी सावधि निक्षेप की अवधि के बारे में निधि प्रबंधक विनिश्चय करेगा ।

(4) राहत निधि पर प्राप्त होने वाला ब्याज त्रैमासिक आधार पर संचित किया जाएगा और पुन: विनिधान किया जाएगा । सावधि निक्षेप की संपूर्ण परिपक्व धनराशि का भी पुनर्विनिधान किया जाएगा ।

(5) निधि प्रबंधक बोर्ड सावधि निक्षेप के विनिधान तथा उसकी मॉनिटरिंग संबंधी नीति अनुमोदित करेगा ।

(6) निधि प्रबंधक केन्द्रीय सरकार को निधि का प्रबंध संबंधी वार्षिक लेखा विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(7) राहत निधि में जमा धनराशि के संबंध में स्रोत पर काटे गए कर की वसूली, स्थायी खाता संख्या की स्थिति तथा कर निर्धारण की दृष्टि से कोष की विधिक स्थिति का विनिश्चय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परामर्श से किया जाएगा और यह निधि प्रबंधक के लिए आबद्धकर होगा ।

7. राहत राशि का संवितरण - (1) राहत के लिए आवेदन कलक्टर को प्ररुप-1 में किया जाएगा तथा कलक्टर द्वारा राहत की राशि की मंजूरी दावेदार को प्ररुप-2 में दी जाएगी ।

(2) दावे का भुगतान सभी प्रभावित व्यक्तियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर या कलक्टर द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

(3) बीमा कंपनी या निधि प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिनिर्णीत राशि मांग की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर या कलक्टर के निदेशानुसार कलक्टर के पास जमा हो जाए ।

(4) दावे की राशि के बीमा दायित्व और राहत निधि राशि से अधिक होने की दशा में कलक्टर द्वारा बकाया राहत राशि की मांग भू-राजस्व बकाया या लोक मांग के रुप में स्वामी से की जाएगी ।

(5) अधिनिर्णीत राशि के अधिभोगी की बीमा पालिसी के अंतर्गत देय राशि से अधिक या बीमा कंपनी के दायित्व से अधिक होने की दशा में कलक्टर आकलित राशि का निधि से भुगतान करने के लिए निधि प्रबंधक को आदेश करेंगे ।

(6) पालिसी से अधिक मांग की गई धनराशि का अंतरण निधि प्रबंधक द्वारा कलक्टर को पंद्रह दिन अथवा कलक्टर द्वारा यथा विनिश्चित अवधि के भीतर कर दिया जाएगा । स्वामी को राहत निधि से दी गई धनराशि की प्रतिपूर्ति कलक्टर को छः मास की अवधि के भीतर करनी होगी, जो आगे इस राशि को राहत निधि में जमा कराएंगे और कलक्टर, स्वामी से इस धनराशि के ब्याज सहित भू-राजस्व बकाया अथवा लोक मांग के रुप में वसूली करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(7) कलक्टर द्वारा इस राशि का संवितरण दावाकर्ताओं को प्ररुप - 4 में उनसे रसीद लेने के पश्चात किया जाएगा ।

(8) कलक्टर द्वारा राहत निधि के अंतर्गत राहत राशि के संवितरण से संबंधित लेखा निधि प्रबंधक को पैंतालिस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

(9) कलक्टर निधि प्रबंधक से राशि प्राप्त करते ही इसे दावाकर्ताओं को संवितरित करेगा और किसी भी दशा में राशि के प्राप्त होने से पंद्रह दिन के अपश्यात।

(10) दायित्व राशि के कुल आस्तियों से अधिक होने या स्वामी के दिवालिया घोषित होने की दशा में मामले को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो दायित्व तथा स्वामी से वसूल की जाने वाली राशि के बारे में विनिश्चय करेगा ।

(11) राहत निधि के अंतर्गत राशि को अनन्य रुप से योजना के अंतर्गत स्वीकार्य दावों के लिए उपयोग में लाया जाएगा ।

8. लेखा और लेखा परीक्षा - (1) निधि प्रबंधक द्वारा उपयुक्त लेखा तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखा जाएगा और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वार्षिक लेखा विवरण तैयार किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक राहत निधि में जमा कराने के लिए वसूल की गई राशि का विवरण दिया जाएगा ।

IndiaCode

(2) सभी बीमाकर्ताओं के संबंध में लेखा विवरण का समेकन और विनिधान तथा प्राप्तियों से संबंधित विवरण निधि प्रबंधक द्वारा रखा जाएगा ।

(3) राहत निधि के लेखाओं की लेखा-परीक्षा नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक के परामर्श से निधि प्रबंधक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी ।

(4) निधि प्रबंधक लेखा और विनिधान के ब्यौरे का एक समेकित विवरण तैयार करेगा और उसे उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केन्द्रीय सरकार के पास अग्रेषित करेगा ।

9. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रवर्तन से दावाकर्ताओं को असम्यक कठिनाई हो रही है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा उपबंध की उस अपेक्षा से अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत रीति में छूट दे सकेगी।

[फा. सं. 18-13/91-एच एस एम डी]

डॉ. जी. के. पाण्डेय, सलाहकार

प्ररुप -1

(लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1992 की धारा-7 क के अधीन)

मैं/हम.....मृतक/घायल ----------

के विधिक प्रतिनिधि के रुप में इसके द्वारा यह वचन देता /देती हूं/देते हैं कि यदि मुझे/हमें अन्य उपबंधों के अधीन मृतक या घोर उपहति ---------- के प्रतिकर के रुप कोई अन्य प्रतिकर या उसके बदले में धनराशि या मृतक या घोर उपहति ---------- के दावों के समाधान के रुप में प्रतिकर या रकम अधिनिर्णीत की जाती है, तो मैं/हम दावा निपटारा अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत राहत की रकम स्वामी को वापस लौटा दूंगा/दूंगी/देंगे ।

मृतक/घायल व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्ररुप -2

क्रम संख्या :

कलक्टर :

तारीख :

आदेश

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- की तारीख ----------को ---------(इकाई का नाम और स्थान) में हुई रासायनिक दुर्घटना के परिणामस्वरुप मृत्यु/घायल होने के संबंध में अंतरिम राहत के रुप में मृतक के विधिक प्रतिनिधि श्री/श्रीमती/कुमारी----------या ----------(घायल का नाम) को रु0----------(रुपए----------) मंजूर करता हूं/ करती हूं।

कलक्टर के हस्ताक्षर

प्ररुप -3

लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अधीन पर्यावरण राहत निधि योजना

1. नियंत्रण संख्या : (निधि प्रबंधक द्वारा आबंटित किया जाएगा)
2. बीमाकर्ता स्वामी का नाम :
3. कारबार :
4. पता :
5. क्षेत्रीय सीमाएं:
6. स्वामी द्वारा हैंडल किए जाने वाले परिसंकटमय पदार्थों का नाम और मात्रा:
7. कलक्टर का पता, जिसकी क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत परिसंकटमय पदार्थ हैंडल करने वाली इकाई है :

8. वार्षिक आवर्त्त :

9. *अधिनियम* की धारा 4 (2 क) में यथा परिभाषित (पालिसी की तारीख को) समादत्त पूंजी :

10. बीमा अवधि :

11. क्षतिपूर्ति सीमा :

12. प्रीमियम :

13. पर्यावरण राहत निधि में अभिदाय :

14. *प्रस्ताव और घोषणा की तारीख :*

15. पालिसी जारी करने वाले कार्यालय का पता जहां भुगतान किया गया है :

16. बीमाकर्ता को किए गए भुगतान की तारीख और विवरण :

तारीख :

कृते -------(स्वामी)

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

टिप्पण : स्वामी द्वारा सम्यक रुप से हस्ताक्षरित प्ररुप की एक प्रति जनरल इंश्योरेंस कम्पनी, जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रत्येक को प्रत्यक्षत: भेजी जाएगी और दो प्रतियां बीमाकर्ता को भेजी जाएंगी । बीमाकर्ता पर्यावरण राहत निधि के अभिदाय सहित सम्यक रुप से हस्ताक्षरित एक प्रति निधि प्रबंधक को भेजेगा ।

प्ररुप- 4

मंजूरी आदेश संख्या.....

तारीख.....

उन्मोचन रसीद

मेरे साथ / मृतक व्यक्ति के साथ.....(मृतक का नाम) तारीख..... को(स्थान का नाम) पर हुई दुर्घटना के लिए में आंशिक/पूर्ण परिनिर्धारण के संबंध में लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अधीन.....इंश्योरेंस

कम्पनी लिमिटेड सेरुपए की राशि सधन्यवाद प्राप्त की । मुझे यह राशि.....(कलक्टर कार्यालय का नाम) से चेक/चालान संख्या.....तारीख द्वारा प्राप्त हुई ।

हिताधिकारी/आहत द्वारा राजस्व टिकट पर हस्ताक्षर

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2008

G.S.R. 768(E).—In exercise of the powers conferred by section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991(16 of 1991), the Central Government hereby makes the following scheme, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) The scheme may be called the Environment Relief Fund Scheme, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In this scheme , unless context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Public Liability Insurance Act, 1991(16 of 1991);

(b) "claims" means the claims for relief arising out of an accident covered by the scheme;

(c) "claimant" means persons, owners or agents as specified in sub-section (1) of section 6 of the Act;

(d) "Form" means a form appended to this scheme;

(e) "Fund Manager" means an organisation selected to manage the Environment Relief Fund as indicated in paragraph 4;

(f) "rules" means the Public Liability Insurance Rules, 1992;

(g) words and expressions used in this scheme but not defined and defined in the Act and the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and rules.

3. Establishment of Relief Fund by the Central Government.—(1)From the appointed day there shall be established by the Central Government, for the purposes of this scheme, a Fund to be called the Environment Relief Fund.

IndiaCode

(2) The Relief Fund shall be managed and administered by the Fund Manager.

(3) The Fund Manager shall open one or more accounts in the nationalised banks to administer the Relief Fund.

(4) There shall be credited into the Relief Fund—

(i) amounts equal to that of premium of the insurance policy taken by the owner and income from investments along with other monies specified in sub-section (2C) of section 4 of the Act;

(ii) money remitted by the owner, as compensation for environment damages caused, under sub-section (1) of section 22 of the National Environment Tribunal Act, 1995 (27 of 1995).

4. Fund Manager.—(1) The United India Insurance Company Limited shall be the Fund Manager for a period of five years from the date of notification of this Scheme.

(2) On the expiry of the term of five years, any organisation ceasing to be a Fund Manager shall be eligible for reappointment along with any other organisation.

5. Operation of the Relief Fund.—(1) From the date of publication of this scheme, the Fund Manager shall open and operate a separate account in any Nationalised Bank for administering the Relief Fund in the name and style of "United Insurance Company Limited-Environment Relief Fund A/C".

(2) The existing funds in the custody of various insurance companies shall be transferred to the Relief Fund account within fifteen days from the date the account becomes operative or from such date as may be communicated by the Fund Manager but not later than sixty days from the date of the notification of this scheme:

Provided that the funds lying in fixed deposits shall be prematurely withdrawn and transferred to the Relief Fund account by the respective insurance companies.

(3) The funds from all insurance companies shall be transferred to the Relief Fund account by way of RTGS and there shall be no charges on such transfer of funds.

(4) All payments made in to the Relief Fund shall be credited by way of Cheque or Demand Draft by the owner along with its annual premium and the insurer in turn shall credit the amount into the Relief Fund account by the 30th of every month.

(5) All owners contributing to the Relief Fund shall inform the Fund Manager and the Collector about payment of the amount in Form-III with in fifteen days of making of such payment of contribution to the insurer.

(6) In case of delay in payment by the owner or insurer, interest at the rate of 18% per *annum* shall be charged on the owners or insurer, as the case may be.

(7) 1% of the funds added in the corpus per annum or as decided by the Central Government from time to time, shall be paid as service fee to the Relief Fund Manager and this shall be paid from the corpus itself.

(8) The liability of the Fund Manager for making the payments from the Relief Fund shall be limited only to the extent of balance available in the corpus.

(9) Claim settlement shall be made by the Fund Manager as per the sanction order issued by the Collector.

6. Investment of amount received under Relief Fund.—(1) The amount received under the Relief Fund shall be invested by the Fund Manager in such a manner so that the sum of relief awarded from the said Relief Fund becomes available to the Collector within fifteen days.

(2) Amounts in the Relief Fund account shall be invested in fixed deposits preferably in the nationalised banks immediately, after leaving the minimum agreed balance in the Relief Fund account, in consultation with the Reserve Bank of India and standing instructions shall be given to the bankers to convert funds over and above the minimum balance to the fixed deposits.

(3) The Fund Manager shall decide the manner for splitting of fixed deposits among the bankers, the maximum and minimum limit and period of such fixed deposits.

(4) The interest on the Relief Fund shall be quarterly cumulative and shall be reinvested. The full maturity value on the fixed deposits also shall be reinvested.

(5) The Board of the Fund Manager shall approve the policy as to placement of fixed deposits and its monitoring.

(6) The Fund Manager shall submit to the Central Government the annual statement of accounts on the management of funds.

(7) The recovery of tax deducted at source on account of credit in the Relief Fund, conditions of Permanent Account Number and the legal status of funds from the point of taxation shall be decided in consultation with the Central Board of Direct Taxes and shall be binding on the Fund Manager.

7. **Disbursement of Relief.**—(1) An application for claim for relief shall be made to the Collector in form-I and the Collector shall award the amount of relief to the claimant in Form-II.

(2) The payment of claims shall be made to all the affected persons on first come first serve basis or as may be decided by the Collector from time to time.

(3) The insurance company or Fund Manager shall ensure that the sum awarded is deposited with the Collector within thirty days of the receipt of the demand or as directed by the Collector.

(4) In case of claims exceeding the insurance liability and the Relief Fund money, the Collector shall demand the remaining relief money from the owner as arrears of land revenue or of public demand.

(5) In case the amount of award exceeds the amount payable under the insurance policy of the occupier or exceeds the liability of the insurance company, the Collector shall order the Fund Manager to pay the assessed amount from the Fund.

(6) The amount in excess of the policy so demanded shall be transferred by the Fund Manager to the Collector within a period of fifteen days or within such specified period as may be decided by the Collector. The owner shall be required to reimburse the money which was paid from the Relief Fund within a period of six months to the Collector who in turn will remit it to the Relief Fund and the Collector shall be responsible for the recovery of the amount from the owner along with interest as aforesaid as arrears of land revenue or of public demand.

(7) The Collector shall disburse this money among the claimants after taking a receipt from them in Form IV.

(8) The Collector shall furnish accounts relating to the disbursement of relief amounts under the Relief Fund within forty-five days to the Fund Manager.

(9) The Collector shall disburse the money to the claimants as soon as he receives it from the Fund Manager, and in any case not later than fifteen days from the receipt of the amount.

(10) In case where the liability is higher than the total assets or where the owner is declared insolvent, the matter shall be referred to the arbitrator to be appointed by the Central Government who would decide about the liabilities and the recovery of amount from the owner.

(11) The amount under the Relief Fund shall be used exclusively for claims admissible under the scheme.

8. Accounts and Audit.—(1) The Fund Manager shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts for each State and Union Territory up to 31st March of every year showing the collection of amounts by them for crediting the said amounts into the Relief Fund.

(2) The Statement of accounts in respect of all the insurers shall be consolidated and a statement of investment and receipts shall be maintained by the Fund Manager.

(3) The accounts of the Relief Fund shall be audited by the auditor appointed by the Fund Manager in consultation with the Comptroller and Auditor-General.

(4) The Fund Manager shall prepare and forward a consolidated statement of accounts and investment details along with the audit report thereon, to the Central Government by 30th June of every year.

9. Power to Relax.—Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this scheme causes undue hardship to the claimants, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirement of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act or the rules made thereunder.

[F. No. 18-13/91-HSMD]

Dr. G. K. PANDEY, Adviser

FORM-I

(Under section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1992)

I / we---------- -as legal representative(s) of the deceased/injured---------- hereby give undertaking that I / we shall refund the amount of relief awarded to me/us under this Act by the Claims Settlement officer to the owner in case I / we am/are awarded any other compensation or amount in lieu of or by way of satisfaction of –a claims for compensation in respect of death or grievous hurt to----------under ***other provisions.***

Signature of the legal representatives of the deceased/injured person.

4215 GI/08-4

FORM - II

SERIAL NO:

Collector:

Date :

ORDER

I hereby sanction Rs.---------- (Rupees.----------

---------- as an interim relief in respect of thedeath/injury

Of Shri/Shrimati/Km. _____resulting

from chemical accident which took place at----------
(Name of

the unit & Place) on ---------- to Shri/Shrimati/Kumari

----------as the legal representative of the deceased

or to ----------(Name of the injured).

Signature of the Collector

Copy to:

1. Fund Manager
2. Office of the Insurance Company
3. The Claimant
4. Collector office file
5. The Owner concerned

IndiaCode

FORM - III

ERF Scheme under the Public Liability Insurance Act 1991

1. Control No. (To be Allotted by Fund Manager)
2. Name of Insured Owner
3. Business
4. Address
5. Territorial Limits
6. Name & Quantities of hazardous substances handled by owner
7. Address of Collector under which Territorial limit is the unit handling hazardous substance falls.
8. Annual turn-over
9. Paid up capital as defined Sec.4 (2A) of the Act (as on the date of the policy).
10. Policy Period
11. Indemnity Limit
12. Premium
13. Contribution to the Environment Relief Fund
14. Date of proposal and declaration.
15 Address of Policy Issuing: office to whom payment has been made
16. Date and particulars of payment to insurer

Date:
Place:

For{ owner }

Name & Designation Authorised Signatory

NOTE: One copy each of the duly signed form is to be sent directly to the General Insurance Company, the District Collector or District Magistrate and Ministry of Environment and Forests by the owner and two copies are to be submitted to the 'Insurer. The insurer will send one copy to the Fund Manager duly signed along with contribution towards ERF.

IndiaCode

F 0 R M - IV

Sanction Order NO.
Dated :

DISCHARGE RECEIPT

Received with thanks from----------

Insurance Co. Ltd. a sum of Rs.----------being

the interim relief under the Public Liability Insurance Act,1991 in part/full settlement

of the claim for accident occurred to me/to the, deceased person----------

----------(Name of the deceased) on ----------

(date of

accident) at----------(Name of the Place). The amount has

disbursed to me vide cheque / challan No.---------- Dated----

--- drawn on----------from (Name of

Collector's Office).

Signature on revenue Stamp
by beneficiary/victim

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.